

प्रेषक,

विनय प्रकाश सिंह,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
मेरठ।

विषय:- 1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने के संबंध में

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के पत्रांक 1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के संबंध में मेरठ न्यायालय परिसर के रैंड जोन/कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

दिनांक : 02.06.2020

भवदीय

(विनय प्रकाश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

प्रेषक

जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

प्रेष्य

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

संख्या-1153/एसटी-नगर/कोविड-19,

दिनांक- 02 जून, 2020

विषय- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.5.2020 के अनुपालन में मेरठ न्यायालय के परिसर रैड जोन/कन्टेनमेंट जोन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अयगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या-1382/2020/सीएक्स-3, दिनांक 31.05.2020 द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में पूर्व से प्रभावी लॉक डाउन दिनांक 01-06-2020 से दिनांक 30-06-2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

तत्काल में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय द्वारा पूर्व पारित आदेश संख्या-1465/ओएसओडीओ-कैम्प/2020, दिनांक 21.05.2020 द्वारा दिनांक 18.05.2020 से दो सप्ताह के लिए बढ़ाई गयी लॉक डाउन की अवधि में सम्पूर्ण नगर निगम (नगर निगम वार्ड संख्या-06, 10, 28 एवं 31 को छोड़कर) एवं कैंट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' घोषित करते हुए उक्त अवधि में नगर निगम एवं कैंट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down पूर्व की भांति लागू रहने के आदेश जारी किए गए थे।

उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय द्वारा अपने आदेश संख्या-1532/ओएसओडीओ-कैम्प/2020, दिनांक 31.05.2020 के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि जनपद मेरठ में प्रतिदिन कोविड-19 की जांच में घनात्मक मामले प्रकाश में आ रहे हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या-1382/2020/सीएक्स-3, दिनांक 31.05.2020 पर विचार विमर्श कर अन्तिम आदेश पारित किए जायेंगे। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय के उक्त आदेश में सम्पूर्ण नगर निगम एवं कैंट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' के रूप में रहने की अवधि को अग्रिम आदेशों तक बढ़ाया गया है। उक्त अवधि में नगर निगम एवं कैंट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down की स्थिति अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। पूर्व आदेश एवं उक्त आदेश की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

कृपया तदनुसार आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार तिवारी)

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

प्रतिलिपि-

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

प्रयाग जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्या 1532/ओएसओडी-कैम्प/2020

दिनांक 31-05-2020

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार को आदेश संख्या 40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30-5-2020 के क्रम में निर्मित मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-5-2020 का मूले से प्रभावी लोक डाउन दिनांक 01-06-2020 से 30-06-2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिये गये हैं।

इस संघर्षा द्वारा पूर्व निर्मित आदेश संख्या 1465/ओएसओडी-कैम्प/2020 दिनांक 21-05-2020 द्वारा दिनांक 18-05-2020 से दो सप्ताह को लिए बढाई गयी लाक डाउन की अवधि में सम्पूर्ण नगर निगम (गठित कई संख्या 00.10.28.31 को छोड़कर) एवं कैंट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' घोषित करते हुए उक्त अवधि में नगर निगम एवं कैंट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत 'Complete Lock Down' पूर्व की नीति लागू रहने को आदेश जारी किए गए थे।

जनपद मेरठ में प्रतिदिन कोविड-19 की जाँच में घनात्मक मामले प्रकाश में आ रहे हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 30-05-2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-5-2020 पर विचार विमर्श कर अन्तिम आदेश परिवर्तित किया जायेगा। अतः सम्पूर्ण नगर निगम एवं कैंट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' के रूप में रहने की अवधि को अन्तिम आदेशों तक बढाया जाता है। उक्त अवधि में नगर निगम एवं कैंट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत 'Complete Lock Down' की स्थिति अन्तिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

(अनिल डींगरा)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्राक्ष एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

- 1- मुख्य सचिव उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 5- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 6- दृष्टि पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
- 7- समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
- 8- पुलिस अधीक्षक-नगर/ग्रामीण क्षेत्र, मेरठ।
- 9- नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उच्च जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
- 10- मुख्य सिविल्स अधिकारी, मेरठ।
- 11- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
- 12- प्रभावी कन्ट्रोल रूम, कलक्ट्रेट, एनओआईसी, मेरठ।
- 13- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

(अनिल डींगरा)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

आदेश

श्री मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 17-5-2020 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 924/2020/सीएस-3 दिनांक 18-5-2020 द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 18-5-2020 से दिनांक 31-5-2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यापार संघ के पदाधिकारियों आदि से विचार विमर्श कर लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 31-5-2020 तक निम्नलिखित दिशा निर्देश पारित किए जाते हैं-

- 1- जनपद मेरठ के कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट/मिठाई की दुकान से होम डिलीवरी अनुमत्य होगी।
- 2- सायं 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन (आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- 3- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति/एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष की आयु से नीचे बच्चों का (स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को छोड़कर) बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
- 4- नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों सहित ग्रामीण क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति Incident Commander द्वारा नियमानुसार शर्तों के अधीन निर्गत की जायेगी, जिसमें श्रमिकों को नान-कन्टेनमेंट क्षेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंस सम्बन्धी एसओओपीओ के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। फैक्ट्रीयां अपने-अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य पर बुलायेंगी।
- 5- नगर निगम, मेरठ के कन्टेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों (पैकेजिंग निर्माता इकाईयां सहित) मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा नियमानुसार शर्तों के अधीन चरणबद्ध तरीके से निर्गत की जायेगी, जिसमें श्रमिकों को नान-कन्टेनमेंट क्षेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेंस सम्बन्धी एसओओपीओ के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। फैक्ट्रीयां अपने-अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य पर बुलायेंगी।
- 6- बारातघर खोले जायेंगे, लेकिन शादी से पूर्व सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी तथा इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
- 7- अस्थाई सब्जी मण्डी की व्यवस्था पूर्व की भाँति जागृति विहार सेंटर-3 में यथावत रहेगी।
- 8- कन्टेनमेंट जोन के बाहर प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राईक्लीनर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
- 9- सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क/कवर के बाहर नहीं निकलेगा।
- 10- समस्त सामाजिक/राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/अन्य सामुहिक गतिविधियाँ पूर्णतः निषिद्ध रहेंगी।

समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल/धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः निषिद्ध रहेंगे।

12- कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर कृषि उपकरण एवं कृषि आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुओं के खरीद/बिक्री करने की अनुमति होगी एवं अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या 323/2020-सीएक्स-3 दिनांक 28-4-2020 के क्रम में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर ईट-भट्टा संचालन में परिवहन/ईट बिक्री परिवहन की अनुमति दी गयी है। अतः इस क्रम में ईट भट्टा संचालकों को उनके कार्य-स्थल तक जाने की अनुमति रहेगी।

13- तहसील मुख्यालय स्तर पर, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अधिकृत होंगे एवं इन्हें Incident Commander नामित किया जाता है।

14- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 924/2020/सीएक्स-3 दिनांक 18-5-2020 द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन की सूची संलग्न है।

15- यदि किसी के द्वारा भी लाक डाउन के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 एवं आई0पी0सी0 की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(अजय सक्सेनी)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

(अनिल ढोंगरा)

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी, जनपद मेरठ।
- 2- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ।
- 4- पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 6- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
- 7- समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
- 8- पुलिस अधीक्षक-नगर/ग्रामीण क्षेत्र, मेरठ।
- 9- नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
- 10- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।
- 11- उपायुक्त उद्योग, मेरठ।
- 12- उप निदेशक, कृषि/जिला कृषि अधिकारी, मेरठ।
- 13- समस्त कार्यालयध्यक्ष, जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 14- प्रभारी कन्ट्रोल रूम, कलकट्टा, एन0आई0सी0, मेरठ।
- 15- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

(अजय सक्सेनी)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

(अनिल ढोंगरा)

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

कन्टेनमेन्ट क्षेत्र की सूची (जनपद मेरठ) ।

क्र०सं०	कन्टेनमेन्ट क्षेत्र
1	समस्त नगर निगम एवं कन्टेनमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या 06,10,28,31 को छोड़कर)
2	कस्बा सिवाल खास, तहसील सदर मेरठ(थाना जानी)
3	ग्राम नारंगपुर, ब्लॉक रोहटा(थाना रोहटा)
4	ग्राम पूडा, (थाना टी0पी0नगर)
5	ग्राम रोहटा, पुराना डाकखाना बड़ी मस्जिद के पास, बडौत रोड मेरठ(थाना रोहटा)
6	मौहल्ला कस्सावान, सरधना, मेरठ(थाना सरधना)
7	ग्राम जलालपुर, हस्तिनापुर, मेरठ(थाना हस्तिनापुर)
8	नगर पंचायत बहसूमा, जनपद मेरठ (थाना बहसूमा)
9	ग्राम पनवाडी, विकास खण्ड दौराला, मेरठ(थाना दौराला)
10	ग्राम अतराडा, खरखौदा(खरखौदा)